

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2021

विषय:- सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

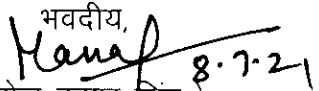
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-यू0ओ0-20/एक-11-2018-4(जी)/2015 दिनांक 02.08.2018 में सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रु0 04.00 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्राविधानित है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच हेतु फॉरेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फॉरेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विसरा जांच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है।

3. स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाय :-

- (1) मृतक का पंचनामा कराया जाय।
- (2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय।
- (3) पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है।
- (4) सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जाय।

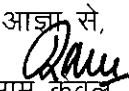
4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों को 07 दिन के अन्दर निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-157(1)/एक-11-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
5. निदेशक, स्टेट मेडिको लीगल सेल, ऐशबाग, लखनऊ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. राजस्व अनुभाग-10

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।